

File No. 2/26/2001-2HC



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 7-2020]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी, 2020
(29 माघ, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 13/के०अ० 29/2005/धारा 25/2020, दिनांक 14 फरवरी, 2020 — हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियम, 2020.	25—26
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 01/संवि० /अनु० 309/2020, दिनांक 14 फरवरी, 2020 — हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, मुख्यालय कार्यालय लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2020. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	27—32
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 फरवरी, 2020

संख्या का०आ० 13/के०अ० 29/2005/धा०-25/2020 - प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009 में, नियम 3 में उपनियम (1) में, "अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक, कानून तथा व्यवस्था, हरियाणा पुलिस" शब्दों तथा चिहनों के स्थान पर "विशेष सचिव/सचिव, गृह विभाग" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

विजय वर्धन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**HOME DEPARTMENT****Notification**

The 14th February, 2020

No. S.O. 13/C.A. 29/2005/S. 25/2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Private Security Agencies (Amendment) Rules, 2020.
2. In the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009, in rule 3, in sub-rule (1), for the words and signs “Additional Director General of Police or Inspector General of Police, Law and Order, Haryana Police”, the words and signs “Special Secretary/Secretary, Home Department” shall be substituted.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

**HARYANA GOVERNMENT
HOME DEPARTMENT**

Notification

The January, 2020

No. .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Private Security Agencies (Amendment) Rules, 2020.

2. In the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009, in rule 3, in sub-rule (1), for the words and signs "Additional Director General of Police or Inspector General of Police, Law and Order, Haryana Police", the words and signs "Special Secretary/Secretary, Home Department" shall be substituted.

C. J. Vardhan

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.


हरियाणा सरकार
गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक: जनवरी, 2020

संख्या. .- प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009 में, नियम 3 में उपनियम (1) में, "अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक, कानून तथा व्यवस्था, हरियाणा पुलिस" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर "विशेष सचिव/सचिव, गृह विभाग" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।



विजय वर्धन
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।